



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082023-248156
CG-DL-E-17082023-248156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]
No. 477]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

आय-कर

सा.का. नि. 607(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"26. विदेशी करेंसी में संदेय आय पर स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन के लिए विनिमय दर- विदेशी करेंसी में संदेय आय पर स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन के लिए-

(i) भारत के बाहर किसी निर्धारिती को ;

- (ii) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी इकाई को ;
- (iii) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी इकाई द्वारा भारत में किसी निर्धारिती को,

संदेय ऐसी आय का रूप में मूल्य की संगणना के लिए विनिमय दर, उस तारीख को जिसको ऐसी आय का संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया जाना अपेक्षित है, ऐसी करेंसी की तार अंतरण क्रय दर होगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

- (i) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो इसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है ;
- (ii) विदेशी करेंसी के संबंध में "तार अंतरण क्रय दर" से वह विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं जो ऐसी करेंसी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी करेंसी खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अंगीकृत हैं, जहां उस बैंक को ऐसी करेंसी तार अंतरण के माध्यम से उपलब्ध की जाती है;
- (iii) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है।"

[अधिसूचना सं. 64 /2023/फा.सं.370142/27/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनंद, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ), तारीख 16.8.2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 607(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act 1961 (hereinafter referred to as 'Act'), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Seventeenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:—

“26. Rate of exchange for the purpose of deduction of tax at source on income payable in foreign currency.—

For the purpose of deduction of tax at source on any income payable in foreign currency, the rate of exchange for the calculation of the value in rupees of such income payable—

- (i) to an assessee outside India;
- (ii) to a Unit located in an International Financial Services Centre;

(iii) by a Unit located in an International Financial Services Centre to an assessee in India,

shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the date on which the tax is required to be deducted at source under the provisions of Chapter XVIIIB by the person responsible for paying such income.

Explanation.— For the purposes of this rule, —

- (i) “International Financial Services Centre” shall have the meaning assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
- (ii) "telegraphic transfer buying rate", in relation to a foreign currency, means the rate or rates of exchange adopted by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), for buying such currency, having regard to the guidelines specified from time to time by the Reserve Bank of India for buying such currency, where such currency is made available to that bank through a telegraphic transfer;
- (iii) “Unit” shall have the meaning assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).”.

[Notification No. 64/2023/F.No. 370142/27/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 604 (E) dated 16.8.2023.